

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा नालसा नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा जारी योजनाओं एवं केन्द्र व राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं आदि के प्रचार प्रसार एवं कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के महिला एवं पुरुष जो सेवाभावी एवं निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कार्य करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया हेतु पैरालीगल वालेंटियर्स का एक वर्ष के लिए चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है।

विशेष नोट:-

1. पैरालीगल वालेंटियर्स का कार्य पूर्णतः सेवा का कार्य है, नौकरी नहीं है, इसके लिए कोई वेतन/मजदूरी देय नहीं है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार समय-समय पर पैरालीगल वालेंटियर को निर्धारित मानदेय होगा।
2. आयु सीमा - कम से कम 18 वर्ष बशर्ते वह स्वस्थ हो और उसमें किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक दोष ना हों जो उसे कार्य करने के लिये अक्षम बनाता है।
3. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -- 12 वी उत्तीर्ण
4. किसी राजनीतिक दल का सदस्य न हो
5. अधिवक्ता न हो
6. कोई आपराधिक मामला दर्ज न हो
7. निम्न समूह के व्यक्तियों के चयन में प्राथमिकता दी जावेगी
 1. शिक्षक
 2. रिटायर्ड सरकारी सेवक एवं वरिष्ठ नागरिक
 3. बी.एस.डब्ल्यू/एम.एस.डब्ल्यू छात्र व शिक्षक
 4. आंगनवाडी कार्यकर्ता
 5. चिकित्सक
 6. विद्यार्थी और विधि छात्र जो अधिवक्ता के रूप में नामांकित ना हों
 7. एन.जी.ओ एवं क्लब के सदस्य
 8. महिला समूहों, मैत्रीसंघों, स्वसहायता समूहों के सदस्य
 9. जेल में अच्छे व्यवहार और लंबी सजा प्राप्त कैदी

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10.12.2025 सायं 05 बजे तक

आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर उसके साथ एक पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर एवं दो फोटो संलग्न कर एवं समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न कर 10.12.2025 को सायं 05 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया के कार्यालय में जमा किया जा सकेगा।

चयन प्रक्रिया:-

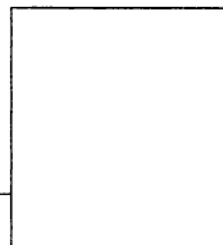
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया में चयन कमेटी के द्वारा अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों में अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जावेगा। चयन कमेटी को किसी भी उम्मीदवार का आवेदन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा और कमेटी का निर्णय अंतिम होगा।


साचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
दतिया (म-५०)

पैरालीगल वालेंटियर्स चयन हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2025-2026

प्रति,

माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय
जिला विधिक संवा प्राधिकरण,
जिला न्यायालय- दतिया म0प्र0



01	आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम	
02	आवेदक के पिता/पति का नाम	
03	वर्तमान पता	
04	आप किस वर्ग में आते हैं	सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अनु.जाति/अनु. जनजाति
05	शैक्षणिक योग्यता व अन्य योग्यता (कम्प्यूटर का ज्ञान, हाँ/नहीं)	
06	जन्म दिनांक	अंको में शब्दों में
07	दूरभाष नम्बर/मोबाईल नम्बर	
08	ई-मेल पता उपलब्ध कराये, यदि न हो तो शीघ्र उपलब्ध करायेंगे	
09	व्यवसाय/कार्य	
10	बैंक खाता क्रमांक, आई एफ एस सी कोड, बैंक का नाम एवं शाखा	
11	वह क्षेत्र एवं स्थान (षहरी/ग्रामीण) जिसमें आवेदक अपनी सेवायें देना चाहता है।	
12	आवेदक सप्ताह में/माह में किस दिवस को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित रह कर सेवायें दे सकता है।	
13	यदि आप पूर्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण /तहसील विधिक सेवा समिति के अंतर्गत पैरालीगल वालेंटियर्स रहे हैं तो अवधिक एवं किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण	
14	समाज सेवा में आपका क्या योगदान रहा है	
15	आपको जानने वाले दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों/अधिवक्ताओं/अधिकारियों का विवरण	
16	अन्य	

नोट:— शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी की अंकसूची संलग्न करें। यह सेवा पूर्णतः सामाजिक एवं निःशुल्क विधिक सेवा है।

दतिया दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

सहमति / घोषणा पत्र

वर्ष 2025-2026

मैं पिता / पति पता
.....राष्ट्रीय विधिक
सेवा प्राधिकरण की कार्ययोजना वर्ष 2025-2026 के अंतर्गत पैरालीगल वालेन्टियर के रूप में
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश पर कार्य करने हेतु सहमति देता / देती हूँ।

यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे विरुद्ध आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं
है और ना ही आपराधिक प्रकरण में दोषी पाया गया / पायी गई हूँ। किसी राजनीतिक
गतिविधियों में सम्मिलित नहीं हूँ / मुझे दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।

मैं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में भाग
लूंगा / लूंगी एवं पैरालीगल वालेन्टियर के रूप में अपने दायित्वों का दुरुपयोग नहीं
करूंगा / करूंगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा
अधिरोपित कर्तव्यों, शर्तों, नियमों एवं दायित्वों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा / करूंगी, यदि
मेरी सेवा में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मेरा
नामांकन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।

हस्ताक्षर
सहमतिकर्ता / घोषणाकर्ता